



MADHYA PRADESH

E 474197

!! श्री !!

लिखतम विक्रय पत्र 2,00,000/- रुपये
अंकन दो लाख रुपये

भारतीय मुद्रांक विधान के अन्तर्गत शुल्क	:	10,000/- रुपये
मंत्र. ग्राम पंचायत विधान के अन्तर्गत शुल्क	:	2,000/- रुपये
उपर्युक्त शुल्क	:	500/- रुपये
योग कुल		12,500/- रुपये

यहकि, इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की जाने वाली राष्ट्रिय कृषि भूमि के रूप में है। जो गाईड लाईन अनुसार पटवारी हल्का नंम्बर 90 में स्थित है। तथा उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कृषि हो रही है तथा उक्त भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है उक्त भूमि पर विक्रेता को भूरवामित्व के अधिकार प्राप्त है और उक्त भूमि गृदान की नहीं है तथा उक्त भूमि के विक्रय किये जाने से म.प्र. भू-राजस्व राहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन नहीं होता है। तथा पंजीयन अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कृषि

आवासिक वस्तु का बिल
क्रमांक 10 नंबरी बिल

लघुपति यात्रा के लिए - आवासिक वस्तु
At प्रश्नो आवासिक वस्तु का बिल

देश ने देश का बिल



4141

28-7-2011
5000

Signature

क्रमांक 10 नंबरी बिल

को हारा उप जिला व्यालियर जिला व्यालियर को
एवं पर्यायिक के लागतमय में
रुपये 15812 / म.प. 1520

N.S.M.
उप पर्यायिक
व्यालियर

क्रमांक

देश का बिल
नगर निपाय / नगर व्यालियर
देश व्यालियर का बिल
देश व्यालियर
देश का बिल
देश व्यालियर

113000/-
22600
5650
1
151250
N.8M



A1
1443

1499

रसीद दस्तावेज बोरह

86

दफ्तर

मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तकसील तारीख व कीमत तथा दस्तावेज की तारीख या किसी जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिनके बावजूद फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इवारत	तादाद फोस (अगर हो तो) दाखल शुदा
1	2	3
केशव सिंह बिहीपत्र	1,825/- 200,000/- / 2,60,000/-	3-8-11
तारीख 1-8-12		उप-पंजी

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 474198

११११११

विक्रेता :- आकाश इण्डस्ट्रीट 55 जनकपुरी ग्वालियर द्वारा सदरय केशव सिंह पुंज श्री किशोरी आयु 42 वर्ष जाति यादव बिवारी-री० पी० कॉलोनी गुरार ग्वालियर

क्रेता :- राष्ट्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण, संस्थान समिति सायिव डॉ० अजय प्रद्याप सिंह वौहान पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह वौहान आयु 54 वर्ष बिवारी तानासेन नगर ग्वालियर


यहकि, विक्रेता के भूरवामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम खेरिया मोदी पटवारी हल्का नं० 90 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुरार विकास खण्ड मुरार तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है। उक्त भूमि पर विक्रेता का नाम शाराकीय रेवेन्यु कागजातों में नामांकित है तथा उक्त भूमि में विक्रेता के अलावा अन्य कोई भागीदार या हिस्सेदार नहीं है। इसका उल्लेख विक्रेता को उक्त भूमि को हर प्रकार से हस्तांतरित करने अथवा विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

यहकि, उक्त भूमि पर किसी भी बैंक, सरकार या प्रायवेट फायनेंसर का या किसी वित्तीय संस्था का कोई ऋणगार या जमानत रांबंधी दायित्व शेष नहीं है तथा विक्रेता द्वारा उक्त भूमि के रांबंध में यह विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में प्रथम बार लेखबद्ध किया है तथा विक्रेता द्वारा उक्त भूमि के संबंध में ऐसा कार्य या कार्यवाही नहीं है जिससे इस विक्रय पत्र पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

2



4141



4142
28-7-2012
2009

क्रांतिकारी विद्युत विभाग का
संचयन कोष विभाग नामक
क्र.प्र. विभाग अमर नगर

विदेश विभाग विद्युत विभाग
विदेश का विषयादान किया गया था और तथा प्रतिकल है

पर्सियन सम्पदे 2007/08 प्राप्त हो गये हैं
तथा रुपये..... में उपर्योगी हैं

दुकाने गये । और प्रतिकल की बकाया रकम
रखते..... यह गयी है जो पंजीयन के
बाद प्राप्त होगी ।

दिनांक.....

① रुपये 2007/08 का विभाग
क्र.प्र. विभाग अमर नगर

② 2007/08 का विभाग
क्र.प्र. विभाग अमर नगर

सहरील व जिला व्यालियर की साँध पूर्णका
निधि व/ विषयादान/अभिकर्ता की शिराखा
के विकास में बड़ी गयी है ।

N.825
रुप पंजीयक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

L 592629

//3//

यहुकि, उक्त भूमि पर विक्रेता को पूर्ण भूर्खामित्व के अधिकार प्राप्त होने से उसे प्रत्येक प्रकार से हरतांतरित करने या विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है विक्रेता द्वारा क्रेता को पूर्ण रखत्वाधिकारों सहित उक्त भूमि को विक्रय किया जाना स्वीकार है विक्रेता द्वारा क्रेता को जो भूमि विक्रय की जा रही है वह नगर पालिका निगम सीमा के बाहर स्थित होकर ग्राम पंचायत की सीमा में स्थित है।
उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

भू-अधिकार पुरितिका क्रमांक	:-	137631
ग्राम	:-	खेरिया गोदी
पटवारी हल्का नम्बर	:-	90 तहसील व जिला खालियर
राजस्व निरीक्षक का नम्बर	:-	मुरार
विकास खण्ड	:-	मुरार
क्र. सर्वे क्रमांक	रकवा	लगान
1. 98	0.962 हैक्टर	मुरेट

यहुकि, उपरोक्त रावें नम्बर कुल किता 1 का कुल रकवा 0.962 हैक्टेयर में से हिस्सा रकवा 0.105 हैक्टर भूमि को इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया है तथा उक्त भूमि असिंचित है। तथा मुख्य मार्ग से 200 गीटर दूर स्थित है।

क्रमशः-----4

१०१५



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

1/4/1

H 540135

यहकि, उपरोक्ता वर्णित भूमि को विक्रेता ने क्रेता को कुल विक्रय मूल्य 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) में पूर्ण रखत्वाधिकारों सहित विक्रय कर दिया है और विक्रेता ने क्रेता से पूर्ण विक्रय मूल्य 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) जर्म बैंक क्रमांक 314983 दिनांक 01.08.2012 बैंक भारतीय ट्रेट बैंक न्यालियर से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार विक्रेता ने क्रेता से पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त करके पूर्ण रान्तुष्ठि कर ली है और उक्त भूमि को क्रेता को पूर्ण रखत्वाधिकारों सहित विक्रय कर दिया है तथा विक्रेता को अब क्रेता से भविष्य के लिये कुछ भी विक्रय मूल्य लेना शेष नहीं रहा है तथा विक्रेता द्वारा या मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा या मेरे वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य में कभी भी कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने या कुछ भी विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है तब वह आपत्ति इस लिखतम के समक्ष मिथ्या होकर अमान्य होगी।

यहकि, उक्त भूमि पर विक्रेता ने क्रेता को मौके पर वार्तातिक व वैधानिक आधिपत्य प्रदान कर दिया है क्रेता उक्त भूमि को अब अपनी सुविधा और इच्छानुसार प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग में लाने का पूर्ण अधिकार है क्रेता उक्त भूमि पर कृषि कार्य करे या उसारा भिन्न कार्य करे या उसे लौज पर प्रदान करे या उसे विक्रय करे या दान करे या अन्य किसी भी रीति से उसके रखत्व रखामित्व व आधिपत्य को हरतांतरित करे तात्पर्य उक्त विक्रय की गई भूमि के संबंध में विक्रेता को जो रखत्वाधिकार आधिपत्य व उपयोग के अधिकार प्राप्त थे वह समर्त अधिकार अब क्रेता को प्राप्त हो गये हैं। और उक्त विक्रय की गई गृणि से अब विक्रेता का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध शेष नहीं रहा है।

क्रमांक ————— 5

Deepti

५२१५



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

//5//

H 540136

यहकि, उक्त भूमि पर विक्रेता के नाम के स्थान पर क्रेता अपना नाम शासकीय रेवेन्यु रिकार्ड में तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय के रिकार्ड में अपना नाम नामांकित कराने का पूर्ण अधिकारी है।

यहकि, उक्त भूमि के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य के संबंध में या अन्य किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी व्यवहार न्यायालय में या रेवेन्यु न्यायालय में या शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है तथा उक्त भूमि को विक्रय किये जाने से विधि के अन्य किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है तथा उक्त भूमि के हस्तांतरण या विक्रय करने पर किसी भी न्यायालय द्वारा या शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है इस बात का विश्वास विक्रेता द्वारा क्रेता को दिला दिया गया है तथा आज विक्रय पत्र पंजीयन का दिनांक के पूर्व का उक्त भूमि के संबंध में शासन का या अन्य किसी भी विभाग का कोई टैक्स या लगान या ऋणभार या अन्य दायित्व शेष निकलता है तब उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की रहेगी तथा विक्रेता की ओर से क्रेता को किसी टैक्स या लगान या ऋणभार या दायित्व की पूर्ति करना पड़े तब क्रेता उस समर्त राशि को मय व्यय के विक्रेता से प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

यहकि, विक्रेता के स्वत्व की त्रुटि के कारण उक्त भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के आधिपत्य से निकल जाता है तब क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह समर्त विक्रय मूल्य मय रजिस्ट्री खर्च जोड़कर उसके कुल योग पर विशेष क्षतिपूर्ति रखरुप दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज जोड़कर विक्रेता से व हमारी समर्त प्रकार की चल अबल सम्पत्ति से प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा और इस कार्यवाही में मुझ विक्रेता को व मेरे उत्तराधिकारियों को व मेरे वैधानिक प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

H 540137

//6//

अतएव इस विक्रय पत्र की लिखतम को विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वेच्छापूर्वक रखरथवित्त अवस्था में बिना किसी दबाव व प्रभाव के पढ़कर समझकर राक्षीगणों के समक्ष हस्ताक्षर करके लेखबद्ध कर दिया है जो प्रगाण रहकर वक्त जरूरत काम आवे।

प्रस्तुत लिखतम का प्रारूप राजेश शर्मा एडवोकेट द्वारा तैयार किया गया है।

दिनांक : 01-08-2012

५२८

हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर गवाह:-

- (1) शिवनन्दन सिंह जादौन पुत्र स्व० श्री वलबंत सिंह जादौन
निवासी—कृष्णपुरी गुरार ग्वालियर
- (2) अक्षय प्रताप सिंह बौहान पुत्र श्री अजय प्रताप सिंह बौहान
निवासी—320 तानरोन नगर हजीरा ग्वालियर



L क्रमांक E 339216



मध्यप्रदेश शासन

भू-अधिकार

एवं

ऋण पुस्तिका

(एकीकृत)

भाग-1 एवं भाग-2

खातेदार/सह-खातेदार का नाम रघुवर मिश्र

एवं शहर के नाम समिति डा. अजिप

पूर्ण रुप रुप रुप वीरेन्द्र मिश्र

ग्राम खोरिया नोटी

प.ह.नं. ८१

भाग-एक (क)

सहखातेदारों का विवरण

यामरव्य रिपोर्ट दीक्षिता कमांक ५७ प.ह.न. ३०...
२०६६

ग्राम खाता कर्मांक } प.ह.नं.

क्र.	खातेदार का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	खाते में हिस्सा (4)
		(3)	
१	परिवार संगी बिलिप्प झूला लिं. दुवारा डॉ. योरेक्ट रोक्षा गिंट नरवरी इया फुग -यौधरी गिंट नरवरी पा नि. ए-१ लिंगी उन्नर साइड नं.१ डबलिम्प (खाती)	आग दृष्टि दृष्टि आग	
२	सवध्यमा शिक्षा एवं समाज कल्याण एज्यान लमिति सचिव डॉ. डोफग घृताप गिंट फुल तीरेकु गिंट नि. तामसन नगर डबलिम्प (खाती)	391 396 E62	

2

3

(प्रा.)

खाता नम्बर/वर्ष १९९०-९१

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर

एस.डी.ओ.प्र.क्र. ०९ / 2012-13/ 172 (1)
ओ.एस.डी.प्र.क्र. १७ / 2012-13 / 172 (1)



सचिव, स्व.धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
डॉ अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व.वीरेन्द्रसिंह चौहान
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर

फैसला प्रतिपादिकार
कल्यालय ग्वालियर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्रार्थी
विरुद्ध
राजस्व प्रतिप्रार्थी

आदेश पारित दिनांक ०१.१२.१२

आवेदक सचिव, स्व.धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति डॉ अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व.वीरेन्द्रसिंह चौहान निवासी तानसेन नगर ग्वालियर द्वारा ग्राम खेरियामोदी पटवारी हलका नं. ९० तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे क्रमांक ९८ मिन रकवा ०.१०५ हेक्टेयर यानि ११२५० वर्गफुट भूमि पर व्यावसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो म.प्र.भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२ (१) के तहत पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्त्रामी रखत्व पर दर्ज है। प्रकरण में कम्प्यूटराइज्ड नकल खरसरा वर्ष २०१२-१३ की छायाप्रति एवं भूमि उपयोग मत की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में सलग्न कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर का पत्र क्रमांक ५७७/UO/ १७३२९/न.ग्रा.नि./२००९ ग्वालियर दिनांक ८.४.२००९ द्वारा भूमि उपयोग निवेश क्षेत्र से बाहर स्थित होकर व्यापक रूप से कृषि दर्शाया गया है।

एस.एल.आर.डायवर्सन से प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें डायवर्सन किये जाने की अनुशस्ता की गई है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि व्यावसायिक (शैक्षणिक) प्रयोजन हेतु व्यावसायिक दर से डायवर्सन की अनुज्ञा देने पर रकवा ११२५० वर्गफुट भूमि पर वार्षिक परिवर्तित भू-राजस्व रूपये १८१२/- एवं प्रीमियन रूपये १५७५०/-, पंचायत उपकर ९०६/- इस प्रकार कुल रूपये १८४६८/- वर्ष २०१२-१३ से आवेदक पर देय होगा। तदनुसार राशि जमा कराई जा चुकी है।

प्रकरण में सलग्न समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा यह माना गया कि आरोपित शर्तों के साथ प्रश्नाधीन भूमि पर व्यावसायिक (शैक्षणिक) कार्य हेतु डायवर्सन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः म.प्र.भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२ (१) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर निम्न शर्ते आरोपित करते हुए व्यावसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

AN सचिव प्रतिपादिकार

निरन्तर..... २/-





विदेश वायु सेवा के लिए अनुरूप नं 13/11/2012

लोक

- 1 दिनांक विदेश पर भारतीय कला के उत्तराधिकारी
लिए कहा गया 13/11/2012
- 2 दिनांक विदेश पर भारतीय कला के उत्तराधिकारी
दिपालि - जल संरक्षण एवं विद्युत विकास बोर्ड
भेजा गया 13/11/2012
- 3 दिनांक विदेश पर भारतीय कला के उत्तराधिकारी
संस्कृत एवं विद्युत विकास बोर्ड
के लिए भारतीय कला के उत्तराधिकारी
दिपालि - जल संरक्षण एवं विद्युत विकास बोर्ड
भेजा गया 13/11/2012
- 4 दिनांक विदेश पर भारतीय कला के उत्तराधिकारी
दिपालि - जल संरक्षण एवं विद्युत विकास बोर्ड
भेजा गया 13/11/2012
- 5 दिनांक विदेश पर भारतीय कला के उत्तराधिकारी
दिपालि - जल संरक्षण एवं विद्युत विकास बोर्ड
भेजा गया 13/11/2012

विदेश वायु सेवा के लिए अनुरूप नं 13/11/2012

13/11/2012

दिपालि या दिपालि

J. S. 4.0 13/11/12
राजा अमर सिंह



(८)

सचिव, स्व.धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
डॉ अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व.वीरेन्द्रसिंह चौहान
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर

आवेदक अधीक्षक भू-अभिलेख डायवर्सन की गणना अनुसार ग्राम खेरियामोदी के भूमि सर्वे क्रमांक 98 मिन रकवा 0.105हेक्टेयर, यानि 11250 वर्गफुट भूमि के व्यावसायिक (शैक्षणिक) की परिवर्तित भू-राजस्व रूपये 1812/- पंचायत उपकर रूपये 906/- प्रतिवर्ष आगामी वर्ष अक्टूबर 2013-14 से राजकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें।

आवेदक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर / स्थानीय निकाय से प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

स्थल पर लोक न्यूसेंस की गतिविधि वर्जित है तथा सामाजिक स्वारथ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। नगर निगम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।

पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत निर्मित समर्स्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने पाए।

निर्माण के दौरान शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

निर्माण के पूर्व भवन की ऊँचाई, छज्जों आदि का निर्माण तथा विन्यास मुताबिक खाली स्थान छोड़ा जाना तथा निर्धारित "फ्लोर एरिया" अनुपात का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

यदि व्यपवर्तन अनुज्ञा आदेश पारित करने के उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि के रवत्त संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

आवेदक को म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र.भू-विकास नियम 1984 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बताये गए गू उपयोग अनुसार ही निर्माण करना होगा। यदि मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण नहीं होता है तो यह व्यपवर्तन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई अधिरोपित राशि (परिवर्तित भू राजस्व, पंचायत उपकर, प्रीमिगम, आदि) वापसी योग्य नहीं होगी।

10- आवेदक अन्य संबंधित विभाग से भी निर्माण पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई डायवर्सन की अनुमति निरस्त की जाएगी। "बी-१" में अमल हो। प्रकरण दायरा से कम हो तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु एस.एल.आर. डायवर्सन को वापस किया जाए।

कर्तव्य प्रतिलिपि

अनुकूलायी अधिकारी
अनुत्तिभासकसंशोधनसंस्कारी
मुरार (सिटी) ग्वॉ.



जपकर्ता - उमा-खेटिया जीर्ण
 O.S.D. 17/12/2012-13/172(1)
 S.D.O. 12/12-13/172(1)

XX (a)-A-145 ४८६.

Rev.-- Hindi

खर्च नं १४६५ रुपये १२५०.७५
 प्रस्तक क्र. फॉर्म--तीन समीक्षक
 [परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

7496

133

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक में
 श्री स्व. व्यास शिल्पा एवं सफाज घटपानु सेत्यानु से
 श्री लीलात लीलाय डा. छजपत्रतापसिंह-नाथग
 रुपये ३८८.८५ श्री वीरेन्द्र सिंह-चौधरा, निवासी
 शब्दों में) प्राप्त हुए इन निवेदित वर्ष २०१२-१३ के वार्षिक रूपये १४१२-
 अन्य विवरण उन्निपाई रुपया ३८८.८५— रु. ९०६—
 एप्पे ड्वार हृष्टर-भाट्टा छहठारु रु. ३.८७०—
 भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी
 या अंगूठे का निशान अधीक्षक भा. अभिलेख
 डायवसान वालियर
 तारीख २४/११/१२

काशीलय कलेक्टर, जिला खालियर

क्रम/मूल्य

130

खालियर, दिनांक 6.10.12

// भूमि स्टेट्स इंडोर //

भूमि की सामान्य जानकारी :- याम ना कम 50 हेक्टर का भूमि का विवरण

रेवन्डा मोदी

प0ह0न0-राजस्थान

व

जिला खालियर भूमि सर्वे कमांक

$\frac{98}{01209}, \frac{99}{2} \text{ व } \frac{99}{3}$

भूमि के संबंध में अन्य जानकारी :

सर्वे क्रमांक 98 -

रिक्ति

ग्रामिण बन्दोबस्तु संबंध
1996 में भूमि का

विवरण
रेवाना क्रमांक 6 मालिक कुण्ठनराज व. नं. 9 रेवाना क्रमांक 8 कुण्ठन
गोदानीया नेतृ छरपाल कोष गडानीया साठदेह पुलामौली।
सर्वे क्रमांक 99 रेवाना क्रमांक 6 मालिक कुण्ठनराज व. नं. 9 रेवाना
क्रमांक 8 कुण्ठन दिल्ली।

सर्वे क्रमांक 98 -

रेवाना क्रमांक 5 मालिक कुण्ठनराज व. नं. 9 रेवाना क्रमांक 5 कुण्ठन
सर्वभगा वाल गोदानीया कोष गडानीया साठदेह पुलामौली।
सर्वे क्रमांक 99 रेवाना क्रमांक 3 मालिक कुण्ठनराज व. नं. 9
रेवाना क्रमांक 5 कुण्ठन दिल्ली।

सर्वे क्रमांक 98 रेवाना क्रमांक 5 कुण्ठन सर्वभगा वाल गोदानीया
कोष गडानीया साठदेह पुलामौली।

सर्वे क्रमांक 99/2 रेवाना क्रमांक 3 जनरी 2 क्रासमीट।
रेवाना क्रमांक 5 कुण्ठन दिल्ली।

पर्याप्त राजस्व विवरण
सराया वेशाला में भूमि
का विवरण

07.10.2012-13

130 अंतर्गत प्रतापगढ़ लुन की रेकॉर्ड दृष्टिकोण।

5 यह प्रस्तावित भूमि शारदीय पट्टेदार के रूप में आवश्यकता से नहीं 50 प्र० भू-राजस्व अदिति की धारा 165 (7-10) के अन्तर्गत अंतरण के पूर्ण विवर की अनुज्ञा दर्शानीय है।

6 क्या प्रस्तावित मूल्य अनुसूचित जनसंकाति वे संविधान होकर अंतरण के दृष्टि वालपटर की अनुज्ञा दर्शानीय है?

सर्वे क्रमांक 99/2 क्रमांक 2018 का क्रासमीट।

नहीं।

फृठकृष्ण 130

प्रश्ना	स्थिति
7 प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामान्तरण, बटवारा /कदम/ शीमांकन/ बटोंकन आदि की कार्यवाही राजस्व न्यायालय को समक्ष लंबित है ? यदि हों तो विवरण	नहीं।
8 वया प्रश्नाधीन भूमि अवैध कानूनों निर्माण के क्षेत्र ने होने से म0प्र0 फृश्यात राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-के अन्तर्गत अंतरणीय है। अथवा नहीं ?	नहीं।
9 वया प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कोई कार्यवाही लंबित है ? यदि हों तो विवरण	—
10 क्या प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष कोई प्रकरण लंबित है ?	—
11 भूमि पर भू-राजस्व, भू-भट्टवा, प्रभियम आदि के वकाला की जानकारी	नहीं।
12 अन्य कोई जानकारी	—

नोट:-1-यह प्रतिवेदन प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का प्रमाणीकरण नहीं है। अपितु भूमि के संबंध में वर्तमान राजस्व अभिलेखों में स्थिति को दर्शित करने वाला है। 2-प्रश्नाधीन भूमि के ग्वालियर विकास प्राधिकरण, म0प्र0 हाउरिंग वौड अववा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की किसी विकास योजना में सम्मिलित होने के संबंध में जानकारी संबंधित कार्यालय से ही जा सकती है। 3-विभिन्न राज्यों एवं सिविल न्यायालयों में लंबित व निराकृत प्रकारणों के संबंध में जांच नहीं की गई है।

6/10/12
6/10/12


6/10/12
6/10/12

प्रभारी अधिकारी
रामाञ्जन-ए-पुरा विकास विभाग
जिल्हा विभागीय (म.प्र.)
6/10/12

आमदानी ग्राम पंचायतीकोष
प.द.७.८० रा.०७. बृत्त २५४८
तह व चिन्ह ग्राम पंचायत
१९७५/१२-३०० रुपये



30
9. 2.
30



नोट:- आमदानी ग्राम पंचायत
लेन्ड का दरमान १२५१२५४/१०।१०
मध्यांग अधिका

१५/१०/७५

- उमीरपाल
 1. दोलालपाल के नाम-जन. मित्र समाज
लेन्ड-खुर्री वहमीन व खेला राजलिश्वर
 2. इयेदन की आवेदन क्रान्ति
 3. आदेल प्राची की नामीता 15/10/75
 4. प्रसारित की नामीता
 5. प्रति जारी करने की नामीता 20/10/75
 6. भास्त्राधारक श्री छस्टे हुए

५०

भास्त्राधारक ओदिकारी
जन मित्र समाज लेन्ड-खुर्री
हहसील व खिला राजलिश्वर